The Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2010

Act 10 of 2010

Keyword(s):
Commission, Consultant, Substansive Appointment

Amendment appended: 7 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या 74 (क-5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०--91/2008 10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2010

फाल्गुन 14, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 302/79-वि-1—10-1(क)-2-2010

लखनऊ, 5 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पर दिनांक 3 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य विधि के सुधार के लिए विषयों को परिलक्षित करने हेतु राज्य में राज्य विधि आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 28 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में,-

(क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त आयोग के अध्यक्ष से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग से है;

(ग) "परामर्शी" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(घ) "पूर्णकालिक सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किसी पूर्णकालिक सदस्य से है;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(च) "अंशकालिक सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त आयोग के किसी अंशकालिक सदस्य से है;

(छ) "सचिव" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन नियुक्त सचिव से है;

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इन नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

अध्याय-दो

राज्य विधि आयोग

आयोग का गठन

3-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे स्वायत्त रूप से समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय गठित करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के रूप में जाना जायेगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे:-

(एक) अध्यक्ष	एक
(दो) पूर्णकालिक सदस्य	दो
(तीन) अंशकालिक सदस्य	दो
(चार) सचिव	एक

(3) आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और शिविर कार्यालय इलाहाबाद में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर होगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :-

(क) अध्यक्ष, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो;

(ख) पूर्णकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो चयन श्रेणी वेतनमान में या उसके ऊपर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो और जिसे न्यूनतम 25 वर्षों का न्यायिक अनुभव हो तथा विधायी और संसदीय कार्य-कलापों का विशेष अनुभव हो;

(ग) अंशकालिक सदस्य कोई ऐसा प्रख्यात विधिवेत्ता या विधि विशेषज्ञ या विधि परिषद सदस्य या विधि आचार्य या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे धारा 6 में निर्दिष्ट विषयों में विशिष्ट एवं विशेषज्ञनीय ज्ञान हो;

(घ) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से पूर्णकालिक आधार पर कृत्यों का निष्पादन करेंगे।

(5) अध्यक्ष जैसे ही और जब अपेक्षित हो, आयोग द्वारा ग्रहण किये गये प्रकरणों की प्रकृति के आधार पर स्वप्रेरणा से या निर्दिष्ट किये जाने पर ऐसे प्रकरणों पर कार्य के पूर्ण होने तक आयोग की सहायता के लिए दो या उससे अधिक परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है।

पदावधि, वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

4-(1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि तक या 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) अंशकालिक सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) यदि अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य का पद रिक्त हो जाय या यदि अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य किसी कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले या यथास्थिति जब तक अध्यक्ष या ऐसा सदस्य अपने कर्तव्यों को फिर से न संभाल ले, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन-

(क) जहां अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ऐसे पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेशित करे,

(ख) जहां किसी पूर्णकालिक सदस्य का पद रिक्त हो जाय या जहां वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां अध्यक्ष द्वारा या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेशित करे, तो यथास्थिति, ऐसे अन्य सदस्य द्वारा या अन्य पूर्णकालिक सदस्यों में से किसी ऐसे पूर्णकालिक सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसे निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(4) अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य को ऐसा वेतन दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

(5) अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य को देय वेतन भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाएं :

परन्तु यह कि अध्यक्ष को देय वेतन, भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा-शर्तों को विहित करने में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देय वेतन, भत्ते और पेंशन और उनकी अन्य सेवा-शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन (विकलांगता या क्षति या पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता हो तो यथास्थिति अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में-

(क) उस पेंशन की धनराशि के बराबर कमी कर दी जायेगी; और

(ख) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व, उसे देय पेंशन के किसी अंश के एवज में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया हो, तो पेंशन के उक्त अंश की धनराशि के बराबर कमी कर दी जायेगी; और

(ग) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई निवृत्ति उपदान प्राप्त किया हो, तो उस उपदान के बराबर तक पेंशन कम कर दी जायेगी।

(6) अंशकालिक सदस्य को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा विहित किया जाय।

(7) परामर्शी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा जैसा विहित किया जाए ।

(8) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों का प्रास्थिति और प्रशासनिक शक्ति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

(9) उपधारा (1), (4) और (5) के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय पदधारण करने वाले अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों पर भी लागू होंगे।

आयोग के अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य का पद त्याग और उनको हटाया जाना

5-(1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य राज्यपाल को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकता है;

(2) अध्यक्ष को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा, राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किये जाने पर जाँच करने के पश्चात यह रिपोर्ट देने पर कि अध्यक्ष को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाना चाहिए, राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसी पूर्णकालिक सदस्य को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर अध्यक्ष की सहमति से राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है;

(3) उपधारा (2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्यपाल (आदेशों द्वारा) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह-

(क) दिवालिया अधिनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) किसी अपराध के लिये जो राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त हो सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाये;

(ग) पद पर बने रहने में मानसिक दौर्बल्य या अंग शौथिल्य के कारण अनुपयुक्त हो; या

(घ) अपने कार्यकाल में अपने पद के कर्तव्यों से इतर किसी भुगतान योग्य रोजगार में लगा हो; या

(ङ) अपनी स्थिति को इस प्रकार अर्थहीन बना दिया हो कि उसका पद पर बने रहना राज्य के हित के लिए हानिकर हो।

(4) यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्राप्त होने वाले से भिन्न राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी संविदा या अनुबन्ध में किसी भी रूप में संबंधित हो या हितबद्ध हो या उसके लाभ या उससे होने वाले लाभ या परिलब्धियों में किसी भी रूप में सम्मिलित होता है, तो उसे उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां

आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां

6-(1) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त विधियों का उसके व्यवस्थित विकास और सुधार जिसके अन्तर्गत विशिष्टताः ऐसी विधि का संहिताकरण, विसंगतियों का निराकरण, अनावश्यक अधिनियमितियों का निरसन, पृथक अधिनियमितियों की संख्या में कमी करना और साधारणतः विधियों का सरलीकरण और आधुनिकीकरण भी है, की दृष्टि से पुनर्विलोकन करे और करता रहे, और इस प्रयोजन के लिए-

(क) विधि के सुधार के लिए ऐसे किन्हीं प्रस्तावों को प्राप्त करना और उन पर विचार करना जो बनाये जाने हों या राज्य सरकार या उच्चतम, न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक क्षेत्र में उसे निर्दिष्ट किये जायें;

(ख) अभिकरण (आयोग या अन्य निकाय) से सम्बन्धित संस्तुतियों, जिनके द्वारा कोई परीक्षा संचालित की जायं, सहित सुधार की दृष्टि से विधि के विभिन्न शाखाओं की परीक्षा के लिए समय-समय पर राज्य सरकार के लिए कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं ऐसी संस्तुतियों के अनुसरण में विधि की विशिष्ट शाखाओं की परीक्षा और उनमें सुधार के प्रस्तावों का विधेयक के प्रारूप के माध्यम से अन्यथा सूत्रबद्ध करना;

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर समेकन और परिनियत विधि के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुसरण में विधेयक के प्रारूप को तैयार करना;

(ङ) राज्य सरकार के अनुरोध पर विधि के किसी शाखा में सुधार करने या उसे संशोधित करने के प्रस्तावों के साथ राज्य सरकार के विभागों और अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों या निकायों को परामर्श और सूचना उपलब्ध कराना;

(च) अन्य राज्यों केन्द्रीय सरकार या अन्य देशों की विधि प्रणाली के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त करना जो उसके कृत्यों में से किसी कृत्य के सम्पादन में सुविधाजनक होना सम्भावित हों;

(छ) आयोग के कृत्यों के संबंध में स्वप्रेरणा से किसी मामलें को लेना।

(2) राज्य सरकार युक्ति-युक्त समय के भीतर आयोग द्वारा तैयार और प्रस्तुत किये गये किन्हीं कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों के अनुसरण में आयोग द्वारा किये गये सुधार के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार करेगी।

(3) आयोग, राज्य सरकार को अपनी कार्यवाहियों की वार्षिक रिपोर्ट करेगी।

(4) आयोग ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जाय।

(5) आयोग अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

सचिव

7-(1) आयोग का एक सचिव होगा जो आसीन अपर जिला न्यायाधीश होगा नियुक्ति उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश और आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) सचिव, आयोग के अधिष्ठान के सम्बन्ध में आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा वह अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से अपनी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी मामलों में अध्यक्ष और सदस्यों की सहायता करेगा।

(3) सचिव की सेवा की निबंधन एवं शर्तें, प्रास्थिति तथा प्रशासनिक शक्तियां वही होंगी जैसी विहित की जाए।

(4) सचिव ऐसे अन्य कृत्यों का भी निष्पादन करेगा जो विहित किये जाय।

आयोग के कर्मचारिवृन्द

8-(1) सचिव, राज्य सरकार द्वारा समस्त अनुमोदित पदों पर इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्त करेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा में किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता हो, राज्य सरकार और अध्यक्ष की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने से रोका गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों और, कर्मचारियों की संख्या और उनकी श्रेणियां उनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की प्रास्थिति और प्रशासकीय शक्तियां ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाय।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यक्ष, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा-

(एक) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी की उस सरकार की सहमति से;

(दो) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की।

अध्याय-चार

वित्त लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

9-(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोज़नों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि जैसी वह उचित समझें व्यय कर सकता है। आयोग द्वारा ऐसी धनराशि से क्रय की गयी सम्पत्ति उसमें निहित रहेगी और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

10-(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगा।

(2) लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसका लेखा परीक्षा करायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

11-आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

12-राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-पाँच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

13-आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

14-राज्य सरकार ऐसे विधिक मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही का उपबन्ध

15-किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हों, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

16-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात :-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को सदेय वेतन;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन किसी अशंकालिक सदस्य को संदेय मानदेय ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन किसी परामर्शी को संदेय पारिश्रमिक;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की प्रास्थिति एवं प्रशासनिक शक्तियाँ;

(च) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के अन्य कृत्य;

(छ) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सचिव की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें, प्रास्थिति और प्रशासनिक शक्तियाँ;

(ज) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सचिव का अन्य कृत्य;

(झ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियां, उनके वेतन भत्ते एवं सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें;

(ञ) प्रपत्र जिसमें वार्षिक लेखा विवरण धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जाता है;

(ट) प्रपत्र जिसमें वार्षिक रिपोर्ट धारा 11 के अधीन तैयार की जायेगी;

(ठ) कोई अन्य मामला, जो अपेक्षित हो, या विहित किया जाए।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

18-(1) सरकारी अधिसूचना संख्या 166/79-वि-1-08-9-08, दिनांक 28 जनवरी, 2008 एतदद्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी सरकारी अधिसूचना संख्या 166/79-वि-1-08-9-08, दिनांक 28 जनवरी, 2008 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही और तद्धीन किया गया अग्रतर आदेश इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

अधिनियमों का पुनरीक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है जिसकी दीर्घकाल से आवश्यकता रही है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विधि आयोग का गठन केन्द्रीय अधिनियमों के पुनरीक्षण और उनके सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए किया गया है। यह एक स्थायी संस्था है और लम्बे अन्तराल से कार्य कर रही है। केन्द्रीय विधि आयोग ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में राज्यों में राज्य विधि आयोग के गठन के लिए संस्तुति की थी जिसके अनुसरण में अनेक राज्यों में विधि आयोग स्थापित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश में चार राज्य विधि आयोगों का समय-समय पर गठन किया गया था लेकिन चूँकि उनका गठन अधिसूचनाओं और सरकारी आदेशों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया गया था, इसलिए स्थायित्व के अभाव में उनका पूर्ण लाभ नहीं लिया जा सका। तत्समय राज्य विधान मण्डल से पारित चार सौ से अधिक अधिनियम प्रवृत्त थे, उनमें से कुछ अप्रचलित हो गये थे और अनेक अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता थी।

ऊपर उल्लिखित परिस्थिति में, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2005) अधिनियमित किया गया था, लेकिन चूँकि यह अनुभव किया गया कि जिन उद्देश्यों के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था, उनकी पूर्ति उस विधि आयोग द्वारा नहीं हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2007) द्वारा उक्त अधिनियम को दिनांक 02 जून, 2007 से निरसित कर दिया गया। तत्पश्चात यह अनुभव किया गया कि उक्त प्रयोजन के लिए राज्य में विधि आयोग का गठन अनिवार्य है। इसलिए राज्य विधि आयोग का गठन कार्यकारी आदेश संख्या 166/79-वि-1-08-9-08, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा कर दिया गया है। उक्त विधि आयोग को स्थायी बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य की विधियों में सुधार के लिए विषयों को चिन्हित करने की दृष्टि से राज्य में राज्य विधि आयोग के गठन की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

सचिव।

No. 302(2)/LXXIX-V-1–10-1(Ka)-2-2010

Dated Lucknow, March 5, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhi Ayog Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2010.

THE UTTAR PRADESH STATE LAW COMMISSION ACT, 2010

(U.P. ACT NO. 10 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislaure]

AN

ACT

to provide for the Constitution of a State Law Commission in the State for identifying the matters for the reform of State Laws and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER-I

Preliminary

Short title extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2010.

(2) It extends to whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 28, 2008.

Definitions

2. In this Act,–

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;

(b) "Commission" means the Uttar Pradesh State Law Commission constituted under section 3;

(c) "Consultant" means a person appointed as such under sub-section (5) of section 3;

(d) "Full-time Member" means a Full-Time Member appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 3;

(e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) "Part-time Member" means a Part-time Member of the Commission appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 3;

(g) "Secretary" means the Secretary appointed under section 7;

(h) "Substantive appointment" means an appointment not being an *ad-hoc* appointment on a post in the cadre of service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(i) "State" means the State of Uttar Pradesh.

CHAPTER-II

The State Law Commission

Constitution of the Commission

3. (1) The State Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Uttar Pradesh State Law Commission to perform the functions autonomously assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of-

(i) The Chairperson	One
(ii) Full-time Member	Two
(iii) Part-time Member	Two
(iv) Secretary	One

(3) The Head Quarter of the Commission shall be at Lucknow and its camp office shall be at Allahabad or at any other place notified from time to time by the State Government.

(4) The Chairperson and the Members shall be appointed as follows by the State Government:—

(a) the Chairperson shall be a person who has been a Chief Justice or a Judge of a High Court;

(b) a Full-time Member shall be a person who has been a Member of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service in selection grade scale or above having at least 25 years of judicial experience and having specialized experience in Legislative and Parliamentary Affairs;

(c) a Part-time Member shall be a distinguished jurist or Legal expert or law academician, or Law Professor or a person having specialized and expertise knowledge in the matters referred to in section 6;

(d) the Chairperson and the Full-time Members shall perform the function on whole-time basis from the date they assume office.

(5) The Chairperson may, as and when required, appoint two or more consultant to assist the Commission, depending on the nature of topics taken up by the Commission *suo-motu* or referred to it, till the completion of work on such topics.

Term of office, salary and allowance and other conditions of service

4. (1) Every person appointed as the Chairperson or a Full-time Member shall hold office for a term of six years from the date on which he assumes office, or upto the date of his attaining 68 years of age, whichever is earlier.

(2) The Part-time Member shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) If the office of the Chairperson or a Full-time Members becomes vacant, or if the Chairperson or a Full-time Member is by any reason whatsoever, unable to perform the duties of his office, such duties shall until some other person appointed under section 3 enters upon such office or, as the case may be, until the Chairperson or such member resumes his duties, be performed:-

(a) where the office of the Chairperson becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by such Full-time Member as the State Government may by order direct;

(b) where the office of a Full-time member becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by the Chairperson himself, or if the Chairperson so directs, by the other Full-time Member or, as the case may be, such one of the other Full-time Members as may be specified in the direction.

(4) There shall be paid to the Chairperson or a Full-time Member such salaries as may be prescribed.

(5) The allowances and pension, if any payable to, and other conditions of service of the Chairperson or a Full-time Member shall be such as may be prescribed :

Provided that in prescribing the salary, allowances and pension payable to and other conditions of service of the Chairperson, regard shall be had to the salary, allowances and pension payable to and other conditions of service, of the Chief Justice of High Court:

Provided further that if the Chairperson or a Full-time Member at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of services as the Chairperson or, a Full-time Member as the case may be, shall be reduced–

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension; and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service, by the pension equivalent of that gratuity:

Provided also that the salary, allowances and pension, if any, payable to, and other conditions of service of the Chairperson or a Full-time Member shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(6) The Part-time Member shall be paid such honorarium as may be prescribed.

(7) The Consultant shall be paid such remuneration as may be prescribed.

(8) The status and administrative powers of the Chairperson and the Full-time Member shall be such as may be prescribed.

(9) The provisions of sub-sections (1), (4) and (5) shall apply also to the Chairperson and Full-time Member holding office on the commencement of this Act.

Resignation removal of Chairperson or a Full-time Member of the Commission

5. (1) The Chairperson or a Full-time Member may, by notice in writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

(2) The Chairperson may be removed from the office by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on reference being made to it by the Governor, has, on

inquiry, reported that the Chairperson ought on any such ground to be removed. The Full-time Member may be removed from the office by the State Government with the concurrence of the Chairperson on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2), the Governor may by order remove from office, the Chairperson or a full-time Member, if he,—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or

(c) is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(d) engages during his term of office in any paid employment out side the duties of the office; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(4) If the Chairperson or a Full-time Member in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a Chairperson or a Full-time Member he shall, for the purpose of sub-section (2), be deemed to be guilty of misbehaviour.

CHAPTER-III

Functions and powers of the Commission

Function and Powers of the Commission

6. (1) It shall be the duty of the Commission to take and keep under review all the laws of the State with a view to its systematic development and reform, including in particular the codification of such law, the elimination of anomalies, the repeal of obsolete and unnecessary enactments, the reduction of the number of separate enactments and generally the simplification and modernization of the law, and for that purpose-

(a) to receive and consider any proposals for the reform of the law which may be made or referred to it by the State Government or the Supreme Court or the High Court in judicial side;

(b) to prepare and submit to the State Government from time to time programmes for the examination of different branches of the law with a view to reform, including recommendations as to the agency (whether the Commission or another body) by which any such examination should be carried out;

(c) to undertake pursuant to any recommendations approved by the State Government, the examination of particular branches of the law and the formulation, by means of draft Bills or otherwise, of proposals for reform therein;

(d) to prepare from time to time at the request of the State Government comprehensive programmes of consolidation and statute law revision, and to undertake the preparation of draft Bills pursuant to any such programmes approved by the State Government.

(e) to provide advice and information to the State Government departments and other authorities or bodies concerned at the instance of the State Government with proposal for the reform or amendment of any branch of the law;

(f) to obtain such information as to the legal systems of other States, Central Government or other countries as appears to the Commission likely to facilitate the performance of any of its functions;

(g) to take up matter *suo-moto* regarding the function of the commission.

(2) The State Government, within a reasonable time, shall consider any programmes prepared and submitted by the Commission and any proposals for reform formulated by the Commission pursuant to such programmes.

(3) The Commission shall make an annual report to the State Government on its proceedings.

(4) The Commission shall perform such other functions as may be prescribed.

(5) The Commission shall regulate its own procedure.

Secretary

7. (1) There shall be a Secretary of the Commission who shall be a sitting Additional District Judge to be appointed by the State Government in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad and Chairperson of the Commission.

(2) The Secretary shall be the Drawing and Disbursing Officer with respect to the establishment of the Commission. He shall exercise his financial and administrative powers with the prior approval of the Chairperson and shall also assist the Chairperson and the Members in all respect.

(3) The terms and conditions of service, the status and administrative powers of the Secretary shall be such as may be prescribed.

(4) The Secretary shall also perform such other functions as may be prescribed.

Staff of the Commissions

8. (1) The Secretary shall, on all sanctioned post by the State Government, appoint such officers and other employees to assist the Commission in the discharge of its functions under this Act with the prior approval of the Chairperson:

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to prevent any person who holds a post under the Central or any other State Government from being appointed on deputation with the consent of the State Government and the Chairperson.

(2) The number and categories of officers and employees who may be substantively appointed under sub-section (1), their salaries, allowances and other conditions of service, shall be such as may be determined by general or special order of the State Government.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Chairperson may for the purpose of discharging his functions under this Act utilize the services of —

(i) any officer of a State or the Central Government with the concurrence of the Government;

(ii) any other person or agency.

CHAPTER-IV

Finance, accounts and audit

Grants by the State Government

9. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act. The property purchased by the Commission from such sums shall vest in it and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and Audit

10. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) A copy of the annual statement of accounts shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

Annual report

11. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed, giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual and other Reports and audit report to be laid before State Legislature

12. The State Government shall cause the annual report, together with memorandum of action taken on the recommendations contained therein and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of each recommendation and the audit report to be laid as soon as possible after the reports are received, before each House of the State Legislature.

CHAPTER-V

Miscellaneous

Chairperson, Members, Secretary and Staff of Commission to be public servants

13. The Chairperson, the Members, the Secretary, other officers and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

State Government to consult the Commission

14. The State Government may consult the Commission on such legal matters as it considers necessary.

Protection of action taken in good faith

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules

16.(1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the salaries payable to the Chairperson and the Full-time Members under sub-section (4) of section 4;

(b) the allowances and pension payable to, and the other terms and conditions of service, of the Chairperson and the Full-time Members under sub-section (5) of section 4;

(c) an honorarium payable to a Part-time Member under sub-section (6) of section 4;

(d) the remuneration payable to a Consultant under sub-section (7) of section 4;

(e) the status and administrative powers of the Chairperson and the Full-time Members under sub-section (8) of section 4;

(f) other function of the Commission under sub-section (4) of section 6;

(g) the terms and conditions of service, the status and administrative powers of the Secretary under sub-section (3) of section 7;

(h) other function of the Secretary under sub-section (4) of section 7;

(i) the number and categories of officers and employees, their salaries, allowances and other terms and conditions of service under sub-section (2) of section 8;

(j) the form in which the annual statement of accounts is prepared under sub-section (1) of section 10;

(k) the form in which the annual report shall be prepared under section 11;

(l) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Power to remove difficulty

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, may by a notified order, make such provisions, not in consistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be before each House of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and Savings

18. (1) The Government notification no. 166/79-Vi-1-08-9-08, dated January 28, 2008 is hereby rescinded.

(2) Notwithstanding such rescind, anything done or any action taken under the Government notification no. 166/79-Vi-1-08-9-08, dated January 28, 2008 and further orders made thereunder shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The revision of Acts is a continuing process which has been needed for a long time. The Centtral Law Commission has been constituted by the Central Government for the revision of Central Acts and for giving suggestions connected therewith which is a permanent institution and has been working for a long interval. The Central Law Commission had in its Fourteenth Report recommended for the constitution of State Law Commission in the States in pursuance of which Law Commissions had been established in many States. In Uttar Pradesh four State Law Commissions were constituted from time to time but since they were constituted by notifications and Government Orders for a fixed period, full advantage thereof could not be taken due to want of permanency. There were more than four hundred Acts of the State Legislature for the time being in force of which some had become redundant and amendments in various Acts were needed.

In the circumstance stated above the Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2005 (U. P. Act no. 3 of 2005) was enacted but since it was felt that the objectives for which the Law Commission was constituted were not fulfilled by the then Law Commission the said Act, was repealed by the Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Act, 2007 (U.P. Act no. 2 of 2007) with effect from June 2, 2007. Thereafter it was felt that the constitution of a Law Commission in the State for the said purpose is necessay so a State Law Commission has been constituted *vide* executive order no. 166/79-Vi-1-08-9-08, dated January 28, 2008. With a view to making the said Law Commission permanent it has been decided to make a law to provide for the consittution of a State Law Commission in the State for identifying the matters for the reform of State laws.

The Uttar Pradesh State Law Commission Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 1180 राजपत्र-(हि0)-6-3-2010-(2505)-597 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 241 सा0 विधायी-6-3-2010-(2506)-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या–58

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013

चैत्र 7, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 329/79-वि-1–13-1(क)-8-2012

लखनऊ, 28 मार्च, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 11 सितम्बर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2010 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2012 का निरसन

3–उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

राज्य विधियों के सुधार के लिए विषयों को परिलक्षित करने हेतु कार्यकारी आदेश सं0–166/79–वि–1–08–9–08, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश में एक राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था। उक्त प्रयोजन के लिए राज्य में राज्य विधि आयोग के गठन की व्यवस्था किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2010) अधिनियमित किया गया। उक्त विधि आयोग को उक्त अधिनियम की परिधि के भीतर लाने के लिए उक्त अधिनियम को दिनांक 28 जनवरी, 2008 से भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित किया गया था। उक्त अधिनियम को अधिनियमित किये जाने के पश्चात यह अनुभव किया गया कि जिन उद्देश्यों के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था उनकी पूर्ति उक्त विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में राज्य विधि आयोग को बनाये रखना अनावश्यक हो गया था। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधि आयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012, (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 07, सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 के0 पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

No. 329(2)/LXXIX-V-1–13-1(Ka)-8-2012
Dated Lucknow, March 28, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhi Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 2012 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013.

THE UTTAR PRADESH STATE LAW COMMISSION (REPEAL) ACT, 2012
(U.P. ACT NO. 7 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2010.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Act, 2012. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on September 11, 2012.

2. The Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2010 is hereby repealed. Repeal of U.P. Act no. 10 of 2010

3. The Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Ordinance, 2012 is hereby repealed Repeal of U.P. Ordinance no. 7 of 2012

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A State Law Commission had been constituted in Uttar Pradesh by the executive order no. 166/79-Vi-I-08-9-08, dated January 28, 2008 for identifying matters for the reform of State Laws. The Uttar Pradesh State Law Commission Act, 2010 (U.P. Act no. 10 of 2010) was enacted to provide for the constitution of the State Law Commission in the State for the said purpose. The said Act was enforced retrospectively with effect from January 28, 2008 to bring the said law commission within the ambit of the said Act. After the enactment of the said Act it was felt that the objectives for which the Law Commission was constituted were not being fulfilled by the said Law Commission. In such situation the continuance of the State Law Commission had become unnecessary. It was, therefore, decided to repeal the said Act in order to abolish the State Law Commission.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary, the Uttar Pradesh State Law Commission (Repeal) Ordinance 2012 (U.P. Ordinance, no. 07 of 2012) was promulgated by the Governor on September 11, 2012.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 814 राजपत्र (हिन्दी)-2013-(3609)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 110 सा० विधायी-2013-(3608)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।